Research Paper Journalism

सोषल मीडिया और राश्ट्रीय सुरक्षा
Social Media and National Security

* Dr. Subodh Kumar

* Assistant Professor & Co-ordinator Deptt. of Journalism & Mass Communication Uttarakhand Open University, Nainital (UK) 263139

ABSTRACT

सोषल मीडिया लगभग हर उम्र के लोगों के जीवन में दखल दे चुका है। इसकी उपस्थिति जहां सामाजिक ताने-बाने में कुछ नए आयाम जोड रही है वहीं कुछ लोग इसकी मौजूदगी में कई खतरों की आहट भी महसूस करते हैं। कहीं कानून बनाने की बहस हो रही है तो कोई नियमन की बात कर रहा है। पर ठोस काम तो सरकार को ही करना है, क्योंकि देष की सुरक्षा, एकता और अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता है। विषेशज्ञ चीन की कार्यनीति को अपनाने पर जोर देते हैं, लेकिन जन जागरूकता को भी एक बडा हथियार माना गया है। इस षोध पत्र के माध्यम से राश्ट्रीय सुरक्षा और सोषल मीडिया के मौजूदा हालातों की पडताल भी की गई है।

Keywords: सोषल मीडिया, साइबर कानून और राश्ट्रीय सुरक्षा।

जागरूकता या दुश्प्रचार :

पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन से एक बात साफ हो गई कि सोषल मीडिया का सहारा लेकर कुछ लोगों के खिलाफ दुश्प्रचार किया जा रहा है और घृणा फैलाई जा रही है। इसी से सोषल मीडिया का मसला बहस के केन्द्र में आ गया। सरकार ने भी सतर्कता दिखाते हुए करीब २५० से ज्यादा वेबसाइटों पर रोक लगा दी जिनके बारे में कहा गया कि इनका कनेक्षन पाकिस्तान से है और ये साइटें दुश्प्रचार में लगी हैं। बीते तीन वर्शों में सोषल मीडिया ने काफी तेजी से पांव पसारे हैं। इसके प्रयोग में युवाओं का दखल ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों के सामने चुनौतियां गिनाते हुए कहा कि पूर्वोत्तर का जातीय तनाव राश्ट्रव्यापी बन गया क्योंकि इससे दक्षिण व पष्चिम भारत के कई षहरों के लोगों का पलायन षुरू हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक देष में इस वक्त ३-६ करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्विटर या लिंक्डइन पर भी करोड़ों लोगों की दस्तक है। सोषल मीडिया पर कमेंट पोस्ट करने के बाद मुंबई में बीते दिनों दो लड़कियों की गिरफ्तारी भी की गई वहीं इसका विरोध भी बड़ी तेजी से किया गया और बाद में कोर्ट ने भी पुलिस के कृत्य की भर्त्सना की। अब ताजा उदाहरण है दिल्ली गैंगरेप कांड। 'साइबर मोबलाइजेषन' का इससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। हर रोज सोषल साइटों पर नए पोस्ट और आंदोलन को एक नई धार देने का आवाहन। वहीं अन्ना-केजरीवाल के आंदोलन ने भी आज हर घर में कम से कम इतनी जागरूकता तो पैदा कर दी कि लोग अब भ्रश्टाचार पर खुलकर बहस करने लगे हैं। देखा जाए तो सोषल मीडिया ने जहां कई ज्वलंत मुद्दों पर देष में जागरूकता फैलाने का काम किया है वहीं इसके दुरुपयोग से दिक्कतें भी खड़ी हुई हैं। आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ा मसला बनकर उभरा है, लेकिन सरकार के पास इससे निपटने की इच्छाषक्ति के अलावा कोई ठोस नियम-कानून नाम की चीज अभी नहीं है।

इंटरनेट पर 'वार'

साइबर सुरक्षा के पंडितों का मानना है कि भारत को अपनी अगली लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ इंटरनेट पर लड़नी होगी। लोगों का मानना है कि जो लोग सोषल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट करते हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि साइबर पंडितों का कहना है कि सोषल नेटवर्क में एक गुमनाम व्यक्ति द्वारा इसका गोपनीय तरीके से इस्तेमाल की संभावना काफी अधिक है। पंजीकरण या मालिकाना हक पैदा करने कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसे में कलुशता पैदा करने वाले व्यक्ति को पकड़ना काफी कठिन होगा। वैसे इन प्रकरणों के मद्देनजर अगर वास्तव में सोषल मीडिया पर कड़ा पहरा लगा दिया गया तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी कुठाराघात होगा। बीते दो वर्शों में सोषल मीडिया ने काफी जागरूकता फैलाने का काम किया है। खासकर अरब स्प्रिंग के बाद कई बड़े मुद्दे सामने आए हैं। लेकिन वास्तव में इस पर सोचना होगा कि अगर सोषल मीडिया सांप्रदायिक तनाव के लिए जिम्मेदार है तो उस पर कड़ी पाबंदी लगने से देष में सांप्रदायिक तनाव खत्म हो जाएगा या फिर कुछ और ही परिदृष्य जन्म ले लेगा।

खुला पार्क है सोषल मीडिया :

यह सच है कि सोषल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसका उपयोग कुछ संकीर्ण और अपराधी किस्म के लोग नफरत पैदा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि इसी समाज में इन चंद कुत्सित विचारों वाले मनों पर भारी पडने वाले वे धर्मनिरपेक्ष संगठन और संस्थाएं भी मौजूद हैं जो इन षक्तियों को मुंहतोड जवाब देने के लिए काफी हैं। ये लोगों में भरोसा पैदा कर सकते हैं और ऐसा हो भी रहा है। यही सोषल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है। सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले लोगों की जितनी जल्दी पोल खोल दी जाए उतना ही काम आसान हो जाएगा। वास्तव में भारतीय संदर्भों में सोषल मीडिया देष के षहरी और काफी हद तक कस्बाई समाज का एक छोटा-सा रुप है। जिस प्रकार से भारतीय समाज में संकीर्ण और खुले विचारों वाले मन रमते हैं वहीं सोषल मीडिया पर भी सकारात्मक और नकारात्मक विचारों वाले लोग दिखाई पडते हैं। ऐसे में मीडिया या प्लेटफार्म को कतई दोशी नहीं ठहराया जा सकता। पारंपरिक मीडिया यानी टीवी रेडियो और समाचार पत्रों की तुलना में सोषल मीडिया का अपना कलेवर है और समाज का कोई भी सदस्य इसका अनुगामी बन सकता है। वह अपने विचारों और संदेषों को प्रसारित व प्रचारित करने के लिए स्वतंत्र है तथा उसके मित्र और षत्रु भी उन्हीं विचारों के आधार पर बन सकते हैं। इस मीडिया के चलाने वालों की ओर से कोई सेंसरषिप या पाबंदी नहीं होती है, जिससे लोग अपने मन की वास्तविक भडास निकालते हैं।

सेषल मीडिया एक खुले पार्क की तरह है जिसमें हर कोई टहल सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह फैक्टर एक ताकत बनकर उभरा है। पारंपरिक मीडिया में मालिकान और संचालक तय करते हैं कि वास्तव में क्या दिखाया और सुनाया जाएगा। लेकिन सोषल मीडिया आपसी संदेषों को साझा करने के लिए स्वतंत्र है। एक और तथ्य है कि पारंपरिक मीडिया की कमियों और गलतियों को भी उजागर करने में सोषल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। सोषल मीडिया की वजह से ही कई तस्वीरें, गानें और वीडियोज प्रसिद्धि पा चुके हैं। इसके अलावा अत्यंत कम खर्चे में सर्वसुलभ इस मीडिया के उपयोग से समाज में आंदोलनों के जो नए सोपान तैयार हुए हैं वे जनजागरूकता के नए आयाम को प्रदर्षित करते हैं। अरब स्प्रिंग के बाद भारत में भी सोषल मीडिया के माध्यम से जनांदोलनों का एक नया संसार खडा हुआ है। इसने सरकारों को हिलाकर रख दिया। पारंपरिक माध्यम जहां एक किस्म के नियंत्रण में बंधे हैं वहीं सोषल मीडिया खुला है और उसके विचार लोगों को एक-दूसरे से जोडे रखने में सहायक भी हो रहे हैं। इस पर विचारों की साख टीवी रेडियो और अखबारों की तुलना में ज्यादा है।

कानूनी पहलू और सख्ती

देष में सांप्रदायिक तनाव और अफवाह फैलाने वाली घटनाओं के अलावा आपत्तिजनक तस्वीरों के मुद्दे जब सामने आने लगे तो इसके लिए सोषल मीडिया पर दोश मढा ग्या। इसके लिए सोषल साइट्स पर प्रतिबंधों की मांग उठी। जाने-माने साइबर विषेशज्ञ पवन दुग्गल का कहना है कि सोषल मीडिया पर नियमन की जरूरत है और इस संबंध में कानून भी बनने चाहिए। उनके मुताबिक भारत को चीन की तर्ज पर कार्यनीति बनाने की जरूरत है और सोषल मीडिया को भारतीय कानून के तहत लाना चाहिए। हालांकि यहां इतर पहलू यह भी है कि सोषल मीडिया के कारण मुख्यधारा के मीडिया को कई खबरें कवर करनी पडीं। सोषल मीडिया ने अधिकारियों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वे जनता से सीधे संवाद करें। वैसे अब देखने की बात होगी कि सोषल मीडिया पर भारतीय कानून भविश्य में कितना नियंत्रण बना पाते हैं। पर वास्तविकता यह है कि सोषल मीडिया वेबसाइटों से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तैयार नहीं है।

भारत की पुलिस और सरकार के लिए साइबर सिक्योरिटी अभी तक प्राथमिकता का विशय नहीं है। भारत के पास बजट है पर अधिकारी जानते ही नहीं कि कैसे इस पर खर्च करें। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक सोषल मीडिया पर नियंत्रण की बात अलग है पर हम उनसे इतना जरूर अपेक्षा कर सकते हैं कि अगर उनकी वेबसाइट पर कोई भारत विरोधी वक्तव्य या नकारात्मक विचार आता है तो वे उसे हटा सकते हैं। ऐसा करना इन वेबसाइटों का कानूनी दायित्व है। वर्श २००० के तकनीकी कानूनों की व्याख्या से साफ है कि ये कानून इन वेबसाइटों पर कानूनी जिम्मेदारी डालते हैं कि वो अपनी सही सोच का इस्तेमाल करें। पवन दुग्गल कहते हैं कि चीन ने वेबसाइट कंपनियों से कह दिया है कि अगर वो चीन में काम करना चाहती हैं तो उन्हें स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा। ऐसे में भारत को भी कुछ ऐसा ही करना होगा। ट्विटर और फेसबुक को पता है कि भारत बडा बाजार है और ये कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी कि भारत जैसा बाजार उनके परदे से लुप्त हो जाए। लिहाजा भारत ने ब्लैकबेरी के साथ जो किया अगर उसे इन वेबसाइटों के साथ करना पडे तो भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर कोई खतरा नहीं होगा। पवन दुग्गल मानते हैं कि भारत को भविश्य में साइबर आर्मी का भी गठन करपा पड सकता है, क्योंकि अगला युद्ध जब भी होगा साइबर स्पेस में होगा।

वैसे लोगों को भी जागरूक होना पडेगा यानी उपभोक्ता भी अपनी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होगा तभी साख बचेगी। मोबाइलधारी और इंटरनेट प्रयोगकर्ता को वेबसाइट पर जैसे ही कोई आपत्तिजनक सामग्री मिलती है वह इसकी जानकारी के लिए वेबसाइट को लिखे या फिर पडोस के थाने में सूचित करे या फिर नेटवर्क रिस्पांस टीम को जानकारी दे। कुछ राजनेताओं का मानना है कि सरकार वेबसाइटों का नियमन करे, लेकिन सवाल है कि नियमन के मायने क्या है! सरकारें हमेषा सूचनाओं को दबाने के लिए जानी जाती हैं। पारंपरिक मीडिया से लोगों का विष्वास हटता जा रहा है और ऐसे में वैकल्पिक मीडिया की ओर भाग रहे हैं। सोषल वेबसाइटों से लाखों लोग

प्रतिदिन जुड रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर से जुडने वालों की तादाद करोडों में है।

निश्कर्श :

सोषल मीडिया के प्रति जनमानस को और दीक्षित करने की जरूरत है। इसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बताना होग ताकि लोग इस पर नकारात्मक हरकत करने से बचें। आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रभावी नियमन की जरूरत पडेगी पर कानूनी नियमों की बाड न लगई जाए वरना लोकतंत्र के इस बडे हथियार की मारक क्षमता पर असर पडेगा। कानून और नियम बनाने से सरकारों को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन असल में आम जनता को नुकसान उठाना पडेगा। सोषल मीडिया पर मुक्त बहस करके लोगों को सचेत किया जा सकता है जिससे वे असामाजिक तत्वों से आसानी से निपट सकें।

REFERENCES

1. http://www-socialmedianews-com-au | 2. http://www-watblog-com/social&media&in&india | 3. Shirky, Clay, The political power of social media | 4. http://www-guardian-co-uk/media/bbc-news-social-media | 5. Some articles from The Times of India, The Hindu, Amar Ujala